अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः एफ 5(7) प्रा.शि./एमडीईएम/अन्नपूर्णा दूध योजना /2018–19/ पार्ट–II/ 630 दिनांक 25.6.18

जिला कलक्टर
जयपुर, अलवर, जोधपुर,
राजसमन्द, भीलवाडा, झालावाड़

विषयः– केन्द्रीयकृत रसोईघर से संबंधित विद्यालयों में "अन्नपूर्णा दूध योजना" के अन्तर्गत कुक कम हैल्पर की सेवाऐं लेने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्र दिनांक 22.05.2018 द्वरा "अन्नपूर्णा दूध योजना" के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 7.3 के अनुसार जिन जिलों में केन्द्रीय रसोईघर के माध्यम से पोषाहार वितरण का कार्य किया जा रहा है, उन जिलों में सम्बन्धित विद्यालयों में केन्द्रीय रसोईघर संचालक द्वारा दूध वितरण का कार्य किया जायेगा।

वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति आईडी संख्या 101803579 दिनांक 23.06.2018 के क्रम में उक्त निर्देशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है कि केन्द्रीयकृत रसोईघर संचालकों के क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में दूध वितरण का समस्त कार्य विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) के द्वारा किया जायेगा। जिन विद्यालयों में कुक कम हेल्पर कार्यरत नहीं है उन विद्यालयों में इस कार्य हेतु कुक कम हैल्पर की सेवाऐं लिये जाने हेतु 500/– रू.प्रति व्यक्ति प्रतिमाह भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्योंकि वित्त विभाग से अनुमोदित निर्देश दिनांक 22.05.2018 में यह प्रावधान किया गया है कि दूध गर्म करने के लिये गैस की व्यवस्था कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट से ही की जानी है इसलिये इन विद्यालयों में दूध गर्म करने हेतु गैस की व्यवस्था केन्द्रीयकृत रसोईघर संचालकों द्वारा ही कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट से की जायेगी।

आयुक्त
मिड डे मील

क्रमांकः एफ 5(7) प्रा.शि./एमडीईएम/अन्नपूर्णा दूध योजना /2018–19/ पार्ट–II/ दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक /माध्यमिक शिक्षा।
2. प्रबन्धक, अक्षयपात्र फाउण्डेशन, जयपुर।
3. प्रबन्धक, अदम्य चेतना ट्रस्ट, जोधपुर।
4. प्रबन्धक,अन्नामृत फाउण्डेशन, जयपुर।
5. प्रबन्धक, क्यूआरजी फाउण्डेशन,अलवर।

अति.आयुक्त (वित्त)

www.rajsevak.com